



आईसीडीएस मिशन के लिए

वित्तीय संसाधन और निधियों का प्रवाह

भाग 4

मातृ सुधा

हमसे मिलें @ www.matrisudha.org

अनुक्रमणिका

आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	2
आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए किराया.....	2
पूरक आहार	2
श्रेणी कारण और प्रत्यायन.....	2
संचालन लागत	3
बजट	3
निधियां जारी करना और निधि प्रवाह	4
निधि प्रवाह तंत्र.....	5

वित्तीय संसाधन और निधि प्रवाह

आईसीडीएस केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित चल रहा कार्यक्रम है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच लागत के आवंटन के अनुपात के आधार पर किया जा रहा है।

एनईआर को छोड़ कर सभी नए घटकों जिसमें स्टाफ का वेतन (जो स्टाफ मिशन के लिए भर्ती किया जा रहा है को शामिल करके) लागत बांटने का पैटर्न का अनुपात 75:25 है, इन ईआर में यह अनुपात 90:10 है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

- पूरे देश में 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण चरणवार किया जाना है जिसकी एक केन्द्र की लागत 4.5 लाख आएगी।
- इस लागत का केन्द्र और राज्य के स्तर पर 75:25 के अनुपात में बांटा जाना है।
- इसके अतिरिक्त 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के लिए भी एक लाख प्रति इकाई की दर से निधियों का आवंटन किया जा रहा है (क्रैच को शामिल करते हुए) इसकी लागत को भी 75:25 के अनुपात में बांटा जाना है।
- आंगनवाड़ी केन्द्र बालकों के अनुरूप होने चाहिए जहां सभी प्रकार की आधारभूत संरचना हो और केन्द्र के पास कम से कम 600 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए।

आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए किराया

- 200 रुपये से 750 रुपये—आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए ग्रामीण तथा जनजातिय परियोजनाएं
- 750 रुपये से 3000 रुपये—आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र – शहरी परियोजनाएं
- 5000 रुपये—आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र – महानगरों में

परिशोधित किराया केवल उन्हीं केन्द्रों के मामले में लागू होगा जिनके पास 500–600 वर्ग फुट जगह का प्रस्ताव होगा।

पूरक आहार

पूरक आहार की लागत का बंटवारा केन्द्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात पर होता है जबकि एनईआर राज्यों में यह अनुपात 90:10 का है।

श्रेणी	मौजूदा प्रतिमान 16.10.08 से लागू	अनुमोदन की तारीख से लागू परिशोधित प्रतिमान (प्रति लाभग्राही प्रतिदिन)
बच्चे (6–72 महीने)	4.00 रुपये	6.00 रुपये
गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे (6–72 महीने)	6.00 रुपये	9.00 रुपये
गर्भवती और दूध पिलानेवाली माताएं	5.00 रुपये	7.00 रुपये

श्रेणी कारण और प्रत्यायन

- पूर्व परिभाषित गुणवत्ता मानकों की उपलब्धियों और बालक संबंधी परिणामों के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों, आईसीडीएस परियोजनाओं और जिला मिशन का श्रेणीकरण और प्रत्यायन किया जाएगा।
- ऐसा बाल अनुकूल आंगनवाड़ी केन्द्र और बेहतर निष्पादन वाले केन्द्रों और परियोजनाओं की वैधता के लिए समुचित तंत्र के साथ सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- इससे आईसीडीएस गुणवत्ता और बढ़े हुए निष्पादन परिणामों के लिए आईसीडीएस कार्यकर्ताओं और समुदायों के प्रोत्साहन में सुधार के लिए सहायता मिलेगी।
- आंगनवाड़ी केन्द्र से परे ईसीडी की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए निजी पूर्व स्कूलों का प्रत्यायन भी किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले के लिए एक मुश्त 2.5 लाख रुपये का प्रावधान आईसीडीएस मिशन के तहत श्रेणीकरण और प्रत्यायन के लिए किया गया है।

अतिरिक्त ब्यारे-आंगनवाड़ी केन्द्र- स ह-क्रेच		
आंगनवाड़ी केन्द्र- स ह-क्रेच में सुविधाएं	लागत मानदण्ड	अभियुक्तियां
अतिरिक्त क्रेच कर्मी	3000 रु. प्रति कर्मी प्रति माह	मानदेय
पालना, अतिरिक्त बिस्तर और बिछौने	18000 रु. प्रति कर्मी प्रति क्रेच	स्थापना लागत (6 वर्ष में एक बार)
देखभाल की मदें, नन्हें खिलौने और सफाई की चीजें	1000 रु. प्रति वर्ष	विविध जरूरतें
क्रेच में उपयोग हेतु अतिरिक्त स्थल के लिए अतिरिक्त किराया	अतिरिक्त किराया (प्रति क्रेच प्रतिमाह) ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्र - 500६ रु. शहरी - 1000६ रु. मेट्रो शहर - 2000६ रु.	किराया क्षेत्र के अनुसार होगा जो राज्य के किराया नियमों के अधीन होगा एवं अधिकतम निर्धारित मानदण्ड के भीतर रखा
क्रेच में सभी बच्चों के लिए शाम का खाना	6६ रु. प्रति लाभग्राही प्रति दिन	शाम के खाने/दूध आदि का खर्च

नोट : सभी मानदण्ड (जिसमें क्रेच कर्मियों का मानदेय भी है) केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किये जाएंगे।

संचालन लागत

- राष्ट्रीय, राज्य, जिला खण्ड/परियोजना और ग्राम स्तर पर मिशन मोड में आइसीडीएस के कार्यान्वयन की संचालन लागत पांच वर्ष के लिए 1,23,580 करोड़ आंकी गयी है। इसमें 2012-13 के लिए 16,542 करोड़ रुपये की लागत शामिल है।
- स्टाफ का वेतन और मानदेय के अतिरिक्त इसमें आवर्ती खर्च जैसे किराया, यात्रा भत्ता अनुसंधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आकस्मिकताएं, स्कूल पूर्व सामग्री, सूचना शिक्षा सामग्री और चिकित्सा किट भी शामिल होगी।

बजट

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,77,456/- करोड़ रुपयों का अनुमोदन किया गया है जिसमें से 1,23,580 करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से और 53,876 करोड़ रुपये राज्यों का हिस्सा होगा।


वर्षवार आबंटन (करोड़ रुपयों में)						
योजना अवधि भारत सरकार का हिस्सा	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	योग (करोड़ रुपयों में)
आवर्ती	16,454	21,129	24,543	25,703	25,733	1,13,562
गैर आवर्ती	88	898	1,990	2,750	4,292	10,018
वर्षवार योग (करोड़ रुपयों में)	16,542	22,027	26,533	28,454	30,025	1,23,580

12वीं योजना का अनुमोदित बजट सारांश (करोड़ रुपये में)	
विवरण	कुल भा. स र. बजट से संबंधित
वेतन	13.6
मानदेय	25.4
एस एन पी	34.5
आंगनवाड़ी केन्द्रों पर रखरखाव और उन्नयन	7.1
कार्यक्रम घटक (आईसीडीएस)	9.3

निधियां जारी करना और निधि प्रवाह

- आईसीडीएस मिशन के तहत निधियों के जारी करने की प्रक्रिया और निधि प्रवाह तंत्र कार्यान्वयन के लिए वृहत ढांचे का अनुसरण करते हुए राज्य एपीआईपी पर आधारित होगा
- भारत सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के बीच राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से निष्पादित किए गए मेमोरण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से यह अपेक्षा की जाएगी
- राज्य सरकारों को निधियों का आंबटन
 - समस्या/चुनौति की व्यापकता,
 - कोर सेवाओं तथा गतिविधियों तथा सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाएगा और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- आईसीडीएस मिशन की वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का संयुक्त मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किया जाएगा
- राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन वार्षिक कार्यक्रम का अनुमोदन संगत वित्तीय और तकनीकी मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर करेगा और राज्य बाल विकास सोसाइटीज को निधियां जारी करेगा।
- पहली किश्त 15 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी।
- प्रत्येक वर्ष दो किश्तों में निधियां जारी की जाएगी इसके संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
- दूसरी किश्त निम्नलिखित के आधार पर जारी की जाएगी ;
 - पहली किश्त की धनराशि का पर्याप्त इस्तेमाल और ;
 - कार्यान्वय और प्रगति की गुणवत्ता किश्त का जारी होना,
 - गत वर्ष की उपलब्धियां,
 - एमओयू में किए गए वायदों को पूरा करना,
 - उपयोग प्रमाण पत्र/एसओई/लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय मानीटरिंग रिपोर्ट आदि जैसी शर्तों के अधीन होगी।
- लेखा परीक्षा की अपेक्षा मानक सरकारी प्रैक्टिस के अनुसार होगी।
- आईसीडीएस मिशन की निधियों का अन्तरण राज्य की समेकित निधि के माध्यम से किया जाएगा।
- यदि राज्य 15 दिन के भीतर निधियों का अन्तरण नहीं कर पाता है तो वह राज्य वित्त आयोग की निधियों के जारी किए जाने के पैटर्न के आधार पर धनराशि पर ब्याज देने का जिम्मेदार होगा।

निधि प्रवाह तंत्र



मद	विद्यमान	अनुमोदित	साझदारी पैटर्न	मदउप घटक
	<u>जिला प्रकोष्ठ</u> शून्य	<u>जिला प्रकोष्ठ</u> शून्य		
	परियोजना ग्रामीण/जनजातीय – 30,000/- रु. प्रति परियोजना प्रति वर्ष	परियोजना 79,200/- रु. प्रति परियोजना प्रति वर्ष (6,600/- रु प्रति परियोजना प्रति माह)	75:25	
	एडब्ल्यूसी / मिनीएडब्ल्यूसी ग्रामीण/जनजातीय परियोजनाओं के लिए 200/- रु. प्रति एडब्ल्यूसी प्रति माह शहरी परियोजनाओं के लिए 750/- रु. प्रति एडब्ल्यूसी प्रति माह	एडब्ल्यूसी / मिनीएडब्ल्यूसी ग्रामीण/जनजातीय परियोजनाओं के लिए 750/- रु. प्रति एडब्ल्यूसी प्रति माह शहरी परियोजनाओं के लिए 3000/- रु. प्रति एडब्ल्यूसी प्रति माह महानगर के लिए 5000/- रु. प्रति एडब्ल्यूसी प्रति माह	90:10	
		राज्य प्रकोष्ठ कोई परिवर्तन नहीं	75:25	
पेट्रोल, तेल और स्नेहक (पीओ एन)	<u>जिला प्रकोष्ठ</u> 1,20,000/- रु. प्रति वाहन प्रति वर्ष जिला प्रकोष्ठ में	<u>जिला प्रकोष्ठ</u> 1,50,000/- रु. प्रति वाहन प्रति वर्ष जिला प्रकोष्ठ में	75:25	पीओ एल में विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय दौरो और सरकारी दौरो के लिए ईंधन का खर्च भी शामिल है
	परियोजना 1,75,000/-#- प्रति वाहन प्रति वर्ष परियोजना स्तर पर	परियोजना 1,75,000/रु. प्रति वाहन प्रति वर्ष परियोजना स्तर पर	75:25	
वाहन की खरीद (केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)	राज्य प्रकोष्ठ 5,00,000/- रु. – 7,00,000/- रु प्रति वाहन.	राज्य प्रकोष्ठ 5,00,000/- रु. – 7,00,000/ रु प्रति वाहन.	90:10	बजट आबंटन के भीतर केवल पूर्वोत्तर राज्यों में खरीद का प्रावधान होगा (जो वर्तमान पैटर्न के अनुसार ही होगा)
मानीटरिंग और मूल्यांकन	एडब्ल्यूसी 500/- रु प्रति कार्यशील एडब्ल्यूसी प्रति वर्ष <u>मिनी</u> <u>एडब्ल्यूसी</u> 100/- रु प्रति कार्यशील मिनी एडब्ल्यूसी प्रतिवर्ष	एडब्ल्यूसी / मिनी एडब्ल्यूसी 1000/- रु प्रति एडब्ल्यूसी / मिनी एडब्ल्यूसी प्रति वर्ष 50/- रु प्रति आंगनवाड़ी कर्मि आईसीटी के लिए	90:10	विभिन्न रिकार्डों/रजिस्ट्रों की छपाई, प्रत्येक एडब्ल्यू सी/मिनी एडब्ल्यू सी में मासिक मोबाइल चार्ज खर्च

उपकरण/फर्नीचर (अनावर्ती-5 वर्षों में एक बार)	राष्ट्रीय शून्य	राष्ट्रीय 6-2/- लाख रु. टीआरसी, मिशन संसाधन केन्द्र और अन्य जरूरतें	100:0	सरकारी कर्मचारियों के लिए फर्नीचर, कम्प्यूटर/लैपटॉप/प्रिंटर/ फैक्स मशीन (आंकड़े प्रत्येक स्तर पर अतिरिक्त स्टाफ के अनुसार हैं)
	राज्य प्रकोष्ठ . 1,00,000/- रु. (50 से कम परियोजनाएं) . 2,00,000/- रु. (50 से अधिक परियोजनाएं)	राज्य प्रकोष्ठ - 5,00,000/- रु. प्रति राज्य प्रकोष्ठ (यूटी को छोड़कर सभी राज्य) . 2,00,000/- रु. प्रति प्रकोष्ठ (सभी यूटी)	75:25	
	जिला प्रकोष्ठ 1,50,000/- रु	जिला प्रकोष्ठ 4,00,000/- रु प्रति जिला प्रकोष्ठ	75:25	
	परियोजना 1,50,000/- रु. प्रति परियोजना	परियोजना 2,00,000/- रु. प्रति परियोजना	75:25	
	एडब्ल्यूसी/मिनी एडब्ल्यूसी 5,000/- रु. प्रति एडब्ल्यूसी (तौल यंत्र सहित)	एडब्ल्यूसी/मिनी एडब्ल्यूसी 7,000/- रु. प्रति एडब्ल्यूसी 5,000/- रु. प्रति मिनी एडब्ल्यूसी	90:10	